संख्याः 955 / XVII(4)/2012 / 02(2) / 12

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 13 अप्रैल, 2012

विषयः— **चालू वित्तीय वर्षः 2012—13 में आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्याः 15, 30 एवं 31 की विभिन्न योजनाओं की अवचबद्ध मदो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या 15 में रू0 96,03,20,000/.—, अनुदान संख्या 30 में रू0 14,00,01,000/— तथा अनुदान संख्या 31 में रू0 4,45,67,000/— तथा अनुदान संख्या 15 के आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 21,58,000/— अर्थात कुल धनराशि रू0 114,70,46,000/— (रू0 एक सौ चौदह करोड़ सत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखते हुए वचनबद्ध मदो यथा वेतन, महगांई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी, आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त कार्मिको के वेतन हेतु व्यवसायिक सेवाओ के लिये भुगतान तथा मानदेय आदि मदों की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते है कि इन मदो के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तो में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदो में व्यय किये जाने एवं उक्तानुसार धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30—3—2012 एवं शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28—3—2012 में निहित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जा रही है।

2— वित्त विभाग का शासनादेश दिनांक 30—3—2012 के क्रम में 04 माह हेतु प्राविधानित लेखानुदान वर्ष 2012—13 में बजट धनराशिरू0 114,70,46,000/— (रू0 एक सौ चौदह करोड़ सत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) को साफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट कर संलग्न विवरणानुसार एलोटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30—3—2012 के अनुसार किया जायेगा।

3— कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आप अपने अधिनस्थ आहरण—वितरण अधिकारी को भी साफ्टवेयर के माध्यम से ही बजट जारी करने का आवश्यक सुनिश्चित करेंगे।

4— किसी योजना/लेखाशीर्षक में 5 करोड से अधिक की लेखानुदान से बजट व्यवस्था होने अथवा योजना का क्रियान्वयन 05 वर्ष से अधिक समय से प्रचलित होने की दशा में भी धनावंटन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्कतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, संपूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

12. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

13. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा।

15. बी.एम–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 955 (1)/XVII(4)/2012 तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव